भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3012

गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/(30 अग्रहायण, 1945 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

सुपारी की ढुलाई

3012. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी.के. सुरेश:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू आपूर्ति मार्गों का उपयोग करते हुए विमानपत्तनों के माध्यम से भारत में सुपारी की अवैध ढुलाई किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार विमानपत्तनों के माध्यम से सुपारी की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए कोई उपयुक्त उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो भारत के सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे/किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 2021-22 से 2022-23 के दौरान हवाईअड्डों और एयर कार्गो से लगभग 1.08 करोड़ रुपये मूल्य की 29.48 टन सुपारी की अवैध ढुलाई के 16 मामलों में जब्ती की गई थी। तथापि, वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नवंबर 2023 तक अवैध सुपारी की ऐसी कोई जब्ती नहीं हुई है। सीबीआईसी, सीमा शुल्क के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के माध्यम से, सुपारी की अवैध ढुलाई होने वाले सभी संभावित क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखता है और ऐसी ढुलाई को रोकने के लिए, कानून के अनुसार समुचित कार्रवाई करता है, जिससे इन घटनाओं से भारत में सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके।

******